निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 भाद्र 1937 (श0)

(सं0 पटना 985) पटना, शुक्रवार, 28 अगस्त 2015

सं0 के0/कारा/रा0प0–27/2002—4687

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय

गृह विभाग

———

संकल्प

10 अगस्त 2015

श्री चन्द्रशेखर मिश्र, तत्कालीन काराधीक्षक, उपकारा, बांका सम्प्रति सेवानिवृत्त के उपकारा, बांका में पदस्थापन अवधि के दौरान आपराधिक मामले में संलिप्त होने के कारण मुख्यालय से फरार रहने तथा अपने कर्त्तव्य से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप के लिए गृह (विशेष) विभाग की अधिसूचना संख्या–2595 दिनांक 05.10.2002 द्वारा निंलबित करते हुए निलंबनावधि में इन्हें मुख्यालय, कारा निरीक्षणालय में संलग्न किया गया।

श्री मिश्र के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र 'क' का गठन किया गया, किन्तु उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित नहीं किया जा सका। श्री मिश्र के विरूद्ध बांका थाना कांड संख्या–236/2001 में दर्ज आपराधिक मामले में पुलिस अधीक्षक, बांका के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में उन्हें निर्दोष बताया गया है। तदुपरांत गृह (विशेष) विभाग की अधिसूचना संख्या–2170 दिनांक 18.08.2003 द्वारा श्री मिश्रा को निलंबन से मुक्त कर दिया गया है। साथ ही अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलाये जाने का औचित्य नहीं होने का निर्णय लिया गया था।

उपर्युक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–11 (5) में वर्णित प्रावधान के तहत् अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत निर्णय लिया जाता है कि श्री चन्द्रशेखर मिश्र, तत्कालीन काराधीक्षक, उपकारा, बांका सम्प्रति सेवानिवृत्त को उनकी निलंबन अवधि (दिनांक 05.10.

2002 से दिनांक 17.08.2003) को कर्त्तव्य पर बितायी गई अवधि मानी जायेगी एवं उक्त अवधि का पूर्ण वेतनादि का भुगतान किया जायेगा।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी,
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 985-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in